रजिस्ट्री सं. डी (डी एन.)-127 REGISTERED NO D (D N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, शुक्रवार नवम्बर 17, 1989/कार्तिक 26, 1911
No. 216] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 1989/KARTIKA 26, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 181 आईटीसी (पी एन)/88-91

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1989

विषय. अप्रैल, 1988–मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा. सं. 6/58/89-ईपीसी.—वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना सं. 1-आईटीसी (पी एन)/88-91 के अन्तर्गत प्रकाशित यथासंशोधित आयात-निर्यात नीति, 1988–91 (खण्ड 1) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उक्त नीति में निम्नोक्त संशोधन नीचे उल्लिखित उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति, 1988-91 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	62	अध्याय–18 निर्यात सदन एवं व्यापार सदन पैरा 212(2)(क)	(i) इस पैरा के नीचे विद्यमान टिप्पणी को टिप्पणी-1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा। (ii) उपर्युक्त टिप्पणी के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां आगे जोड़ी जाएंगी :— "2. निर्यात सदन/व्यापार सदन के रूप में दर्जा प्रदान करने के लिए पात्रता के उद्देश्य से निवल

1	2	3	4
			विदेशी मुद्रा अर्जन की गणना करते समय डी.टी.सी. अग्रदाय लाइसेंसों के मामले में केवल उनके उपयोग में लाए गए मूल्य को, जोकि संगत लाइसेंसिंग वर्ष के अन्तिम दिन को या उस से पूर्व उनके द्वारा किए गए सभी प्रेषणों के मूल्य पर आधारित हो, हिसाब में लिया जाएगा। 3. निर्यात/व्यापार सदन के रूप में आवेदक को दर्जा प्रदान करने के लिए उसकी पात्रता का सुनिश्चय करने के लिए "निबल विदेशी मुद्रा अर्जन" की गणना करते समय आवेदक को यह विकल्प होगा कि अग्रिम/अग्रदाय (हीरे/डीटीसी अग्रदाय लाइसेंस शामिल है) आयात-निर्यात पास बुक (विशेष अग्रदाय आयात-निर्यात पास बुक को छोड़ कर) यदि कोई हो, जोकि आधार अवधि के किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी किया गया हो, के मूल्य को आधार अवधि के तत्काल बाद आने वाले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में से घटाए। जैसा कि उपर्युक्त टिप्पणी 2 में कहा गया है, डीटीसी अग्रदाय लाइसेंसों के मामले में इस उद्देश्य के लिए केवल उनके द्वारा उपयोग में लाए गए मूल्य को ही गिना जाएगा। यह मूल्य घटाने के लिए आधार अवधि के केवल तीन लाइसेंसिंग वर्षों के भीतर ही अनुमेय किया जाएगा।
2.	63	अध्याय–18 निर्यात सदन एवं व्यापार सदन पैरा 215(i)	उप पैरा की अन्तिम पंक्ति में आए शब्द "टिप्पणी" को निम्नोक्त "टिप्पणी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

3. वाणिज्य मंत्रालय की 30 मार्च, 1988 की सार्वजनिक सूचना संख्या 2-आईटीसी (पीएन)/88–91 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए प्रकाशित यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

4. प्रक्रिया पुस्तक में उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

क्रम संख्या	प्रक्रिया-पुस्तक 88-91 की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	360 362	परिशिष्ट-18-क निर्यात/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र	(i) क्रम संख्या 10(ख) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की निबल वसूली संबंधी विवरण में, विवरण के कालम 3 के शीर्षक में "यदि कोई जारी किया गया है" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए: — "(हीरा व्यापार निगम अग्रदाय लाइसेंसों के मामले में, संगत लाइसेंसिंग वर्ष के अन्तिम दिन या उससे पूर्व किए गए सभी प्रेषणों के आधार पर उपयोग किये गए मूल्य)"

1	2	3	4
			(ii) क्रम संख्या 10(ख) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की निवल वसूली संबंधी विवरण में उपर्युक्त संशोधित क्रम संख्या के बाद आगे निम्नलिखित कालम भी जोड़े जाएं:—
			लाइसेंसिंग वर्ष की अन्तिम तिमाही में जारी लाइसेंसों के मूल्य को उक्त साल के दौरान जारी लाइसेंसों के कुल लागत भाड़ा मूल्य में से निकाल दिया जाए जैसा कि आयात नीति के पैरा-212(2)(क) के नीचे टिप्पणी-3 में विकल्प दिया गया है। | चालू लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान जारी लाइसेंसों के कुल लागत भाड़ा मूल्य में तत्काल पिछले लाइसेंसिंग वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान जारी लाइसेंसों के मूल्य को शामिल किया जाए जैसा कि आयात नीति के पैरा 212 (2) (क) के नीचे टिप्पणी 3 में विकल्प दिया गया है।
			3-क | 3-ख
			(iii) क्रम संख्या 10-ख के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की निवल वसूली विवरण में क्रम संख्या 4 के शीर्षक के ब्योरे को संशोधित करके निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए:— "विदेशी मुद्रा की निवल वसूली या कालम 2 में से घटाएं कालम 3 (कालम 3-क को शामिल न करके पर कालम-3 ख को शामिल करके)"
			(iv) सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव के प्रमाणपत्र के अन्तर्गत वर्तमान प्रमाणपत्र (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:— "(i) मैसर्स ..... (आवेदक का पूरा नाम तथा पता) ने आवेदन पत्र की क्रम संख्या 30 में दिए विवरण में उल्लिखित प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवल विदेशी मुद्रा की वसूली कर ली है।"

5. अप्रैल 1988—मार्च, 1991 के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 340(1) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह व्यवस्था है कि निर्यात/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर तक दिए जाने चाहिए। 1989–90 वर्ष के लिए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि को एतद् द्वारा 31-12-1989 तक बढ़ाया जाता है। वे पंजीकृत निर्यातक जिन्होंने या तो अपात्र होने के कारण प्रमाण पत्र के लिए अपने आवेदन पत्र नहीं दिए थे या यथोचित निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा न करने के कारण जिनके अनुरोध रद्द कर दिये गए थे, वह भी इस तारीख तक अपने आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

6. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 181-ITC (PN)/88-91

New Delhi, dated the 17th November, 1989

Subject : Import & Export Policy for April, 1988-March, 1991

F. No. 6/58/89-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy, 1988-91 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 11-ITC (PN)/88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

1	2	3	4
			(ii) क्रम संख्या 10(ख) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की निवल वसूली संबंधी विवरण में उपर्युक्त संशोधित क्रम संख्या के बाद आगे निम्नलिखित कालम भी जोड़े जाएं:—

लाइसेंसिंग वर्ष की अन्तिम तिमाही में जारी लाइसेंसों के मूल्य को उक्त साल के दौरान जारी लाइसेंसों के कुल लागत भाड़ा मूल्य में से निकाल दिया जाए जैसा कि आयात नीति के पैरा-212(2)(क) के नीचे टिप्पणी-3 में विकल्प दिया गया है।	चालू लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान जारी लाइसेंसों के कुल लागत भाड़ा मूल्य में तत्काल पिछले लाइसेंसिंग वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान जारी लाइसेंसों के मूल्य को शामिल किया जाए जैसा कि आयात नीति के पैरा 212 (2) (क) के नीचे टिप्पणी 3 में विकल्प दिया गया है।
3—क	3—ख

(iii) क्रम संख्या 10-ख के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की निवल वसूली विवरण में क्रम संख्या 4 के शीर्षक के ब्योरे को संशोधित करके निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए:—

"विदेशी मुद्रा की निवल वसूली या कालम 2 में से घटाएं कालम 3 (कालम 3-क को शामिल न करके पर कालम-3 ख को शामिल करके)"

(iv) सनदी लेखापाल/लागत लेखापाल/कम्पनी सचिव के प्रमाणपत्र के अन्तर्गत वर्तमान प्रमाणपत्र (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

"(i) मैसर्स .....
(आवेदक का पूरा नाम तथा पता)
ने आवेदन पत्र की क्रम संख्या 30 में दिए विवरण में उल्लिखित प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों के लिए निवल विदेशी मुद्रा की वसूली कर ली है।"

5. अप्रैल 1988—मार्च, 1991 के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 340(1) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह व्यवस्था है कि निर्यात/व्यापार सदन प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र लाइसेंसिंग वर्ष के 30 सितम्बर तक दिए जाने चाहिए। 1989-90 वर्ष के लिए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि को एतद् द्वारा 31-12-1989 तक बढ़ाया जाता है। वे पंजीकृत निर्यातक जिन्होंने या तो अपात्र होने के कारण प्रमाण पत्र के लिए अपने आवेदन पत्र नहीं दिए थे या यथोचित निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा न करने के कारण जिनके अनुरोध रद्द कर दिये गए थे, वह भी इस तारीख तक अपने आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

6. उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 181-ITC (PN)/88-91

New Delhi, dated the 17th November, 1989

Subject : Import & Export Policy for April, 1988-March, 1991

F. No. 6/58/89-EPC.—Attention is invited to the Import & Export Policy, 1988-91 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 11-ITC (PN)/88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the said policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of the Import and Export Policy, 1988-91 (Vol. I)	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	62	CHAPTER-XVIII EXPORT HOUSES & TRADING HOUSES PARA 212(2)(a)	(i) Existing Note below this para shall be numbered as Note 1. (ii) After the above note the following further Notes shall be added :— "2. In the case of DTC Imprest Licences, only their utilised value based on the value of all remittances made on or before the last day of the relevant licensing year, shall be taken into account, while computing the 'NFE' earnings' for the purposes of eligibility for the grant of status as Export House/Trading House. 3. The applicant shall have the option to have the value of the Advance/Imprest (including Diamond/DTC Imprest) licences/Import-Exportt Pass Books (excluding Special Imprest Import-Export Pass Books) if any, issued in the last quarter of any of the licensing years in the base period, debited to the F.O.B. value of exports made in the immediately succeeding licensing year of the base period, while computing 'NFE earnings' for the purposes of determining its eligibility for the grant of status as Export/ Trading House. As stated in Note 2 above, in the case of DTC Imprest Licences, only their utilised value will be taken into account for this purpose. Such debiting will be permitted only within the three licensing years of the base period.
2.	63	CHAPTER-XVIII EXPORT HOUSES & TRADING HOUSES PARA 215(1)	The word "Note" appearing in the last line of the sub-para shall be substituted by the following :— "Note 1"

3. Attention is also invited to the Hand Book of Procedures for April, 1988-March, 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC (PN)/88-91 dated the 30th March, 1988, as amended.

4. The following amendments shall be made in the Hand Book at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Hand Book of procedures, 1988-91	Reference	Amendments
1	2	3	4
1.	360-362	APPENDIX-XVIII-A FORM OF APPLICATION FOR GRANT OF EXPORT/TRADING HOUSE CERTIFICATES	(i) Under S. No. 10(B) Statement of Not Realisation of Foreign Exchange, in the heading of Column 3 of the Statement, after the words "if any, issued", the following words shall be added :— "(utilised value based on all remittances made on or before the last day of the relevant licensing year in the case of DTC Imprest Licensing)".

1	2	3	4
			(ii) Under Sl. No. 10(B), Statement of Net Realisation of Foreign Exchange, after Col. 3 amended as above, following further columns shall be added :—
			Value of licences issued during the last quarter of the licensing year to be excluded from the total cif value of the licences issued during the said year, as per the option given in Note (3) below Para 212(2)(a) of the Import Policy.
			3-A
			Value of the licences issued during the last quarter of the immediately preceding licensing year to be included in the total cif value of the licences issued during the current licensing year, as per the option given in Note 3 below Para 212(2)(a) of the Import Policy.
			3-B
			(iii) Under Sl. No. 10-B, Statement of Net Realisation of Foreign Exchange the description of the heading of Col. 4 shall be amended 'to read as under :—
			"Net realisation of foreign exchange [Col. 2 minus Col. 3 (excluding Col 3-A but including Col. 3-B)]"
			(iv) The existing Certificate (i) under the Certificate of Chartered Accountant/Cost Accountant/ Company Secretary shall be substituted by the following :—
			"(i) M/s ..... (full name and address of the applicant) have realised net foreign exchange for each of the three financial years specified in the statement in Sl. No. 10 of the application."

5. Attention is also invited to Para 340(1) of the Hand Book of Procedures for April, 1988—March, 1991 wherein it has been provided that the application for Export/Trading House Certificate should be submitted upto 30th September, of the licensing year. The last date for making application for the certificates for the year 1989-90 is hereby extended upto 31-12-1989. Registered Exports, who had not submitted their applications for the certificates earlier either on account of their being ineligible or whose requests had been rejected, for the said year 1989-90, as they did not fulfil the eligibility criterion as laid down, may submit their applications by this date.

6. The above amendments have been made in public interest.

TEJENDRA KHANNA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989